न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद–पत्र संख्या 21/2021
वाद दायरी दिनांक : 22/02/2021
निर्णय दिनांक : 03/03/2021

बद्रीनारायण पुत्र हनुमान, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

–– वादी

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र हनुमान, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
2. रामस्वरूप पुत्र हनुमान, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. रामजीलाल पुत्र हनुमान, जाति ब्राहाम्ण, निवासी ग्राम मोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
4. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा खातेदारी

(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधि0–1956)

उपस्थिति – श्री रामजीलाल शर्मा
विद्वान अधिवक्ता वादी

श्री लक्ष्मीकान्त दाधीच
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 03/03/2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद–पत्र बाबतघोषणा विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं. 206 रकबा 1.33 है0 भूमि जो वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी वादी के पिता के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.09.1999 को हो चुका है। मौके पर मुताबिक हिस्सा

सहायक कलक्टर (फर्स्ट क्लास) दूदू

1/4 वादी तथा हिस्सा 3/4 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 3 बाहमी बंटवारा कर मौखिक परिवारिक सेटनमेन्ट के अनुरूप मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। अन्य व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकर नही है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 मृतक खातेदार हनुमान के विधिक वारिसान व उत्तराधिकारी है तथा विवादित आराजी वादी के पिता हनुमान की पैतृक मोरूसा सम्पत्ति है, जिस पर बाई बर्थ वादी का हक व अधिकार बनता है। विवादित आराजी वादी की पैतृक व मोरूसा मृश्तर्का सम्पत्ति है, जिस पर वादी बाई बर्थ व हिस्सा है। उक्त सम्पत्ति वादी के दादा छगनलाल जी कब्जे काश्त की आराजी रही है। छगनलाल जी के जीवनकाल में वादी का जन्म हो चुका था। परन्तु तत्समय राजस्व कारकुनानों द्वारा लिपीकीय त्रुटिवश हनुमान की वल्दियत छगनलाल के बजाय गलती से बन्ना दर्ज कर दिया गया था। जबकि बन्ना हनुमान का जायन्दा बडा भाई था। उक्त इन्द्राज लिपीकीय त्रुटिवश व सहवन से हुआ है, जो काबिले हजब है मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त चले आ रहे है विवादित सम्पत्ति पैतृक होकर मुताबिक कब्जा वादी बहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज है तथा हिन्दू उत्तराधिकारी अधि0 की धारा 8 के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 की नियत में फितुर है तथा येनकेन प्रकारेण उक्त भूमि को अपने नाम लगाने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। मौके पर वादी अपने हक हकूको व अधिकार की भूमि को मौके पर मेर कोर कायम कर बाह जोत करता आ रहा है तथा घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 कोई मर्तबा वादी ने उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवाकर खातेदार दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु आश्वासन भरोसा देते रहे हाल ही दिनांक 16.02.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 द्वारा वादी को धमकी दी गई की उक्त भूमि सम्पूर्ण को वह अपने नाम लगवाकर वादी को कब्जे से बेदखल करेगा। इसलिए आवश्यक हो गया कि वादी मान्य न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करे।

वादी ने वाद–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "वादी का वाद बाबत घोषणा खातेदारी डिक्री फरमायी जाकर वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0 206 रकबा 1.33 है0 भूमि जो वाके ग्राम सीतारामपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में वादी को हिस्सा 1/4 व प्रतिवादी सख्या 1 ल0 3 को हिस्सा 3/4 बहिस्सा बराबर–बराबर अनुरूप खातेदार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं वर्तमान इन्द्राज हनुमान पुत्र बन्ना हजफ फरमाया जावें। डिकी की पाललार्थ तहसीलदार मौजमाबाद को लिखा जावें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 24/02/2021 को प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 की ओर से श्री लक्ष्मीकान्त दाधीच एडवोकेट ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया। जो राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील वादीगण साक्ष्य न पेश सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 खाता संख्या 165 ग्राम सीतारामपुरा तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ल. 3 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाबदावा व राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वादीगण ने उक्त वाद–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ''विवादित आराजीयात पक्षकारान की मौरूसी मुश्तर्का सम्पति है, जो वादी के पिता हनुमान की है, जिनका स्वर्गवास हो गया है, इसलिये विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का बाई बर्थ हिस्सा बनता हैं, जिसकी घोषणा करवाने हेतु उक्त वाद पेश किया हैं।''

इस सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत सिजरा के अवलोकन से पाया जाता है कि वादी स्व0 हनुमान के वारिशान है तथा पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होना पाये जाते हैं। विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजीयात हैं। जो वर्तमान में वादी के पिता के नाम से दर्ज रही हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात पैतृिक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित हैं। कानूनन स्व0 हनुमान के नाम दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 का बाई बर्थ हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक व हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 ने इकबालिया जवाबदावा एवं राजीनामा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकारकी आपत्ति नही जताकर अपनी पूर्ण सहमति दी हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन से यह पाया जाता है कि वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) चूरू

अपने वाद–पत्र को साबित करने में पूर्णतया सफल रहा हैं। इसलिये वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 165 के आराजी ख0 न0 206 रकबा 1.3300 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर वाके ग्राम सीतारामपुरा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 3 को प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/8/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुदा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर 3 फोन ...

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम दूदू (जयपुर)

व इजलास : श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत (R.A.S.)

बद्रीनारायण पुत्र हनुमान, जाति ब्राह्मण नाम रामेश्वर, रामस्वरूप, रामजीलाल पुत्रान हनुमान निवासी ग्राम मोरखमपुरा, तहसील मौजमाबाद (जयपुर) दावा बाबत ओपचारा जाति ब्राह्मण, ग्राम मोरखमपुरा तहसील मौजमाबाद (जयपुर) राज०

मुकद्दमा नं. 21 सन् 2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री रामजीलाल शर्मा

व हाजिरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री लक्ष्मीकांत द्विवेदी 1 लगायत 3

.... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर एकतरफा कार्यवाही 4

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा सं० 165 व आराजी खसरा नं० 206 रकबा 1.3300 हैक्ट० कुल किता 01 कुल रकबा 1.3300 हैक्ट० वाके ग्राम सीतारामपुरा तह० मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 का प्रत्येक का 1/4-1/4 हिस्सा के अनुसार खातेदार हकदार घोषित किया जाता है मुबलिग .... बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद बशरह .... फीसदी .... साल आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक .... का अदा करे।

दस्तखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 03 सन् 2021

जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर (मुहर)

दस्तखत
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प तलब सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।